न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 213/2015
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2015/00045

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. श्री रेवत सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह निवासी ठिकरिया खुर्द, ग्राम पंचायत मीण्डा तहसील–नावां 2. श्री शिवपाल पुत्र श्री जीवणराम (पीकअप RJ19GA3021) का ड्राईवर जाति जाट निवासी बासड़ी खुर्द, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर 3. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री गणेश राम जाति जाट निवासी हरसोई तहसील रेणवाल जिला जयपुर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।

निर्णय **दिनांक**–26-07-2022

1. प्रार्थी द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा गेहूं नग 50 कट्टे मय बारदाना वजन 25 क्विं. एवं पीकअप नं. आर.जे. 19 जीए. 3021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या–2 शिवपाल को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया, परन्तु 30 दिवस की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या–2 शिवपाल उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 03.10.19 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 17.12.2020 अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना में किये गये कथनों को हूबहू दौराते हुए प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 06.10.2015 को उपखण्ड अधिकारी महोदय नावां एवं तहसीलदार नावां को ग्रामीणो द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचनानुसार ग्राम ठिकरियाखुर्द ग्राम पंचायत मिण्डा के उचित मूल्य दुकानदार रेवत सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी करने की नियत से पिक–अप गाड़ी मे गेहूँ ले जाने की सूचना पर तहसीलदार जी नावां द्वारा तत्काल मौके पर नायब तहसीलदार श्री सूरजाराम को भेजने पर जानकारी में आया कि ग्राम भीवपुरा के कांकड से जो भीवपुरा से रेनवाल जाने वाली झीकरा सडक पर एक पीकअप वाहन Rj 19 GA 3021 जिसमे गेहु कटटे भरे हुये पिकअप पायी गयी। ग्रामवासियों से पूछताछ में बताया कि पिकअप का ड्राईवर मौके से फरार हो गया है। अतः ये भरे हुये 50 कटटे श्री रेवत सिंह राशन डीलर ठिकरिया खुर्द की दुकान से भरकर लाये जा

कलक्टर, नागौर

रहे थे जिनको हमने रोककर प्रशासन को सूचना दी है। मौके पर पिकअप मे देखने पर भारतीय खाद्य निगम का मार्का होकर मशीन की सिलाई किये हुये गेहूँ के 50 कटटे भरे हुये पाये।

2(1)– मौके पर पहुंचने पर पिकअप गाड़ी नं RJ 19 GA 3021 तथा मौके पर से ड्राईवर फरार हो गया तथा रात्रिकालीन समय होने से मौके पर पुलिस थाना मारोठ को सूचना देकर गाडी एवं गेहुँ को पुलिस सुपुर्दगी सौंपा गया। चूंकि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध होने से नायब तहसीलदार नावां श्री सूरजाराम एवं गिरदावर श्री शिवदान मीणा के साथ उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा बतायी गयी राशन की दुकाने के गोदाम को सील कर दुसरा ताला लगाया गया, जो कि उक्त दुकान रेवत सिंह के घर पर खुद की होना बतायी।

2(2)– गांववासीयो ने बताया कि यह गेहूँ ठिकरिया खुर्द के राशन डीलर श्री रेवत सिंह की दुकान से भरा गया तथा भरते हुये देखा गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला राशन सामग्री से जुड़ा होने से संदेह के आधार पर श्री रेवत सिंह की राशन की दुकान व उसके धर पर बतायी जिसको सील कर दुसरा ताला लगाकर सील चस्पा गयी मौके पर डीलर स्वंय उपस्थित नही मिलना भी डीलर की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आती है मौके पर डीलर नही मिलने से रिकार्ड तलब नही हो सका।

2(3)– दिनांक 07.10.2015 को श्री मनजीतसिंह प्रवर्तन अधिकारी, नावां द्वारा हमराह नायब तहसीलदार एवं गिरदावर श्री शिवदान मीणा एवं सरपंच ग्राम पंचायत मीण्डा एवं अन्य की उपस्थित मौतविरानों के समक्ष दिनांक 06.10.2015 को सील की गयी दुकानों का मौके पर सील चस्पा हटवाकर भौतिक सत्यापन्न करने पर स्थिति निम्नानुसार पायी गयी। 71 कटटे गेहूँ के भरे हुये जिस पर भारतीय खाद्य निगम की मोहर अंकित होकर मशीन की सिलाई सहित पाये गये। जिनका कुल वजन प्रति कटटा 50 किलो ग्राम मानते हुये 71 गुणा 50 से कुल वजन 35 क्विटल 50 किलो ग्राम मिला। मौके पर डीलर श्री रेवत सिंह के भतीजा दौलत सिंह द्वारा घर में सील सुदा जब्त दुकान के पास एक दुकान मे कुल 141 कटटे गेहुँ के कटटे जिन पर भारतीय खाद्य निगम की सील लगी होकर पायें जिनका कुल वजन 141 अलग से गिनवायें उक्त 141 कटटा की जानकारी 06.10.2015 को नायब तहसीलदार नावां द्वारा दुकान सील करते समय इन 141 कटटो की जानकारी रेवत सिंह के परिजनों ने नही दी अतः इसका पृथक मौका परर्चा बनाया गया जो इसी का भाग है। इस प्रकार कुल गेहूँ के कटटे 71+141 सर्वयोग 212 कटटे जिनका अनुमानित वजन 212X50 =106 क्विटल पाये गये। मौके पर डीलर के भतीजे श्री दौलत सिंह एवं उसके परिजनो द्वारा उपस्थितजनो के सामने 3 स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किये जिसमें से एक रजिस्टर ठिकरियाखुर्द की दुकान का होकर मिला जिसका अवलोकन करने पर स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 4.10.2015 को पृष्ठ संख्या 20 पर अन्तिम प्रविष्ठि पर 115 क्विटल 81 किलो ग्राम की है, जबकी मौके पर कुल 106 विवटल गेहुँ पाया गया इस प्रकार भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड के मिलान पर कुल 09 विंवटल 81 किलोग्राम गेहुँ कम पाया गया। दिनांक 8.10.2015 को ठिकरियाखुर्द उपभोक्ता जो ठिकरिया खुर्द भीवपुरा होकर उपखण्ड कार्यालय मे उपस्थित हुए 1 रामचन्द्र पुत्र हनुमानाराम निवासी भींवपुरा, 2 सेवाराम पुत्र भोमाराम, 3. गोपाल पुत्र भोमाराम, 4. गोपाल पुत्र पुरा राम, 5. राजेन्द्र पुत्र भींवाराम, 6. घीसाराम पुत्र भींवाराम उक्त सभी ने अपने बयानों में अवगत कराया की राशन डीलर रेवत सिंह द्वारा हमे गेहुँ उपलब्ध नहीं करवायें गये। राशन कार्डों का अवलोकन करने पर कालॅम खाली पाये गये। उक्त कम पाये गये गेहूँ और उपभोक्ताओं को अप्रार्थी संख्या–1 रेंवतसिंह उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ उपलब्ध नहीं करवाने के बाबत आरोपों के संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 रेवंतसिंह के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–86/2015 सरकार बनाम रेवंतसिंह उ.म.दू, जिला रसद कार्यालय नागौर विचाराधीन है।

2(4)– श्री धन्नाराम पुत्र गुलाराम जाट निवासी भींवपुरा एवं मोहन पुत्र तुलसा जाट निवासी भीवपुरा एवं गोपाल पुत्र भोमाराम ने बयान मे बताया कि 6.10.2015 को सायं 7.30 pm पर

कलक्टर, नागौर

हम सभी नें रेवत सिंह को पिकअप गाडी मे गेहुँ भरते हुये देखा तथा उस वक्त हमारे साथ हंसराज पुत्र रूपाराम, महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र , सागरमल पुत्र खेमाराम थे।

2(5)— बनवारी लाल पुत्र गणेशराम निवासी हरसोई ने उपखण्ड कार्यालय नावां में स्वयं उपस्थित होकर बयानो मे दर्शाया की जो वाहन संख्या RJ 19 GA 3021 पिक–अप जब्त है जिसका मालिक मै स्वयं हुँ। साथ ही यह भी बताया कि मेरे डाईवर शिवपाल पुत्र जीवणराम से उक्त गाडी श्री रेवत सिंह राशन डीलर द्वारा किराये पर ली थी किराया संबंधी या अन्य कोई बात की जानकारी मुझे नही है। चूँकि उक्त पिकअप वाहन में उक्त जब्तशुदा 50 गेहूँ के कट्टे कालाबाजारी हेतु अवैध रूप से गये है, इसलिए कालाबाजारी हेतु प्रयुक्त उक्त पिकअप वाहन को नियमानुसार राजसात किया जाना आवश्यक है।

2(6)— शिवपाल पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी बांसडी खुर्द तहसील रेनवाल जिला जयपुर ने बयान मे बताया कि मै मेरे मामजी के धर आया हुआ था जहां पर रेवत सिंह ने आकर मेरे पिक–अप को किराये पर बात कर गेहुँ भरवाने के बाद आधा किलो मीटर की दूरी पर गांव वालो ने गाडी को जबरदस्ती रुकवा दिया तथा माहौल तनावपूर्ण देखकर मौके से भाग गये। उक्त शिवपाल के बयानों से भी स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा पिकअप वाहन में जब्तशुदा 50 गेहूँ के कट्टों का कालाबाजारी हेतु अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।

2(7)— चूंकि जब्तसुदा पिक–अप RJ-19-GA 3021 मे गाडी संबंधी कोई कागजात नही होने से तथा गाडी मालिक का हकदार बनने वाले बनवारी लाल पुत्र गणेशराम ने भी कोई कागजात उपलब्ध नही कराने से गाड़ी पर अंकित नम्बर प्लेट RJ-19-GA 3021 (चौसिस नं. एम.ए.–1–आर.सी–एबीए. 22 जी. 48531) को यथा स्थिति में जो जैसी है वैसी स्थिति मे मालखाना पुलिस थाना मारोठ के कास्टेबल नथूराम बैल्ट नं 08 को सुपुर्दगी में दी।

2(8)— जप्तसुदा गेहुँ के कुल 50 कटटें जिनका अनुमानित वजन 25 क्विटल होकर मारोठ के उचित मूल्य दुकानदार रामदेव पुत्र मोहन राम मेघवाल प्राधिकार संख्या 467/01 को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार इस प्रकरण में डीलर रेवत सिह ठिकरियाखुर्द द्वारा अपनी दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहुँ भरकर कालाबाजारी हेतु पिकअप वाहन मे 50 कटटे डालकर अवैध परिवहन करते हुये पाया गया मौके से डीलर का फरार होने से प्रकट होता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 3 का उल्लंधन है जो कि धारा 7 व 8 के तहत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रकरण में जब्तसुदा गेहूं नग 50 कट्टे मय बारदाना वजन 25 क्विं. एवं पीकअप नं. आर.जे. 19 जीए. 3021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए मे समपहरित (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर द्वारा न्यायालय हाजा में जो प्रार्थना पत्र/इस्तगासा प्रस्तुत किया है वह मनगढंत व वास्तविक स्थिति से परे प्रस्तुत किया है।

3(1)— प्रकरण हाजा में वाहन संख्या आर.जे.19/जी.ए. 3021 में जो गेहूँ रसद सामग्री वाहन चालक के कब्जे से बरामद होना कथन किया है वह सामग्री न तो कभी मुझ अप्रार्थी को रसद विभाग द्वारा सप्लाई की गयी न ही मेरे द्वारा तथाकथित वाहन चालक या अन्य किसी व्यक्ति को दी जाकर उक्त गेहू रसद सामग्री का परिवहन ही किया गया।

3(2)— प्रकरण हाजा में जब्तसुदा रसद सामग्री मुझ अप्रार्थी को कभी सप्लाई नहीं की गयी तथा उक्त रसद सामग्री मेरी नहीं है न ही मेरे कब्जे से बरामद हुई। जहां तक मुझे ग्राम ठिकरियाखुर्द के राशन डिलर होने की हैसियत से मौके पर गेहूँ कम मिलने का बता कर प्रकरण हाजा में अभियोजित किया गया है। इस संबंध में इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि तथाकथित जो कार्यवाही मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अन्य अधिकारियो की मौजूदगी में किया जाना बताकर मौके पर रेकर्ड के मिलान कर सत्यापन करने का हवाला देते हुए गेहूँ कम पाये जाने का उल्लेख किया है। उस संबंध में यह लिखना आवश्यक है कि उक्त समय मुझ जवाबदेहन्दा के अधीन एक अन्य दुकान ग्राम मिण्डा का भी संचालन करने का जिम्मा

कलक्टर, नागौर

सुपुर्द किया हुआ था वहां पर भी मेरे द्वारा राशन सामग्री वितरीत की जा रही थी तथा उक्त जो गेहूँ के कट्टे मौके पर मौजूद मिले उनमें प्रत्येक कट्टे में किसी में 52 किलो किसी में 53 किलो गेहू था तथा कुछ गेहूँ मौके पर दुकान में खुला भी पड़ा था लेकिन मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक व अन्य अधिकारियो ने उक्त कट्टो में मौजूद गेहू का कोई तोल माप नहीं किया व खुले पड़े गेहूँ का उल्लेख नहीं किया साथ ही यह लिखना भी आवश्यक होगा कि मुझ जवाबदाता उस समय मौजूद नहीं था बावजूद इसके मेरी गैर मौजूदगी में सम्पूर्ण कार्यवाही मेरे से अदावत रखने वाले लोगो के बहकावे में आकर संचालित की गयी है।

3(3)– प्रकरण हाजा पूर्ण रूप से मुझ से अदावत रखने वाले लोगो के द्वारा रसद अधिकारी, कर्मचारियो को व तहसीलदार को गलत तवज्जह दिलाकर कार्यवाही करवाई गयी है जो जब्तसुदा गेहूँ बताये जा रहे है वह मेरे नहीं है न ही मेरा उससे कोई सरोकार ही है। मेरे द्वारा हमेशा रसद सामग्री का विधिनुसार वितरण किया गया है किसी प्रकार की चूक नहीं की गयी है, का कथन करते हुए कार्यवाही हाजा बरखिलाफ जवाबदाता रेवन्तसिंह के विरूद्व ड्रोप करने का निवेदन किया है।

4. वकील श्री गोविन्द कड़वा ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 बनवारी को झूठा फंसाया गया है, अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी को साक्ष्य पेश करने व जिरह का अवसर नहीं दिये जाने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या–3 बनवारीलाल के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा गेहूं नग 50 कट्टे मय बारदाना वजन 25 क्विं. एवं पीकअप नं. आर.जे. 19 जीए. 3021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या–2 शिवपाल को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया, परन्तु 30 दिवस की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या–2 शिवपाल उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 03.10.19 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से जबाब प्रस्तुत करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 17.12.2020 अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जबाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

5(1)–प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2015 को उपखण्ड अधिकारी नावां एवं तहसीलदार नावां को ग्रामीणो द्वारा दूरभाष पर ग्राम ठिकरियाखुर्द ग्राम पंचायत मिण्डा के उचित मूल्य दुकानदार रेवत सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत द्वारा राशन के गेहूँ की कालाबाजारी करने की नियत से पिक–अप गाड़ी मे गेहूँ ले जाने की सूचना पर तत्काल मौके पर नायब तहसीलदार श्री सूरजाराम को भेजने पर जानकारी में आया कि ग्राम भीवपुरा के कांकड से जो भीवपुरा से रेनवाल जाने वाली झीकरा सडक पर एक पीकअप वाहन Rj 19 GA 3021 जिसमे गेहु कटटे भरे हुये पिकअप पायी गयी। ग्रामवासियों से पूछताछ में बताया कि पिकअप का ड्राईवर मौके से फरार हो गया है। अतः ये भरे हुये 50 कटटे श्री रेवत सिंह राशन डीलर ठिकरिया खुर्द की दुकान से भरकर लाये जा रहे थे जिनको हमने रोककर प्रशासन को सूचना दी है। मौके पर पिकअप मे देखने पर भारतीय खाद्य निगम का मार्का होकर मशीन की सिलाई किये हुये गेहूँ के 50 कटटे भरे हुये पाये। रात्रिकालीन समय होने से मौके पर पुलिस थाना मारोठ को सूचना देकर गाडी एवं गेहुँ को पुलिस सुपुर्दगी सौंपा गया। जप्तसुदा गेहुँ के कुल 50 कटटें जिनका अनुमानित वजन 25 क्विटल होकर मारोठ के उचित मूल्य दुकानदार रामदेव पुत्र मोहन राम मेघवाल प्राधिकार संख्या 467/01 को सुपुर्द किया गया। उक्त संबंध में वकील श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ (अप्रार्थी संख्या–1 रेवतसिंह की ओर से) का कथन कि प्रकरण हाजा में वाहन संख्या आर.जे. 19/जी.ए. 3031 में जो गेहूँ रसद सामग्री वाहन चालक के कब्जे से बरामद होना कथन किया है वह सामग्री

कलक्टर, नागौर

न तो कभी अप्रार्थी को रसद विभाग द्वारा सप्लाई की गई है और न ही उसके द्वारा तथाकथित वाहन चालक या अन्य किसी व्यक्ति को दी जाकर उक्त गेहूँ रसद सामग्री का परिवहन ही किया है उक्त जब्तशुदा रसद सामग्री मेरी नहीं है और न ही मेरे कब्जे से बरामद हुई। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि दौराने जॉच गवाह श्री धन्नाराम पुत्र गुलाराम जाट एवं मोहन पुत्र तुलसा जाट एवं गोपाल पुत्र भोमाराम ने बयान मे बताया कि 6.10.2015 को सायं 7.30 pm पर हम सभी नें रेवत सिंह को पिकअप गाडी मे गेहुँ भरते हुये देखा तथा उस वक्त हमारे साथ हंसराज पुत्र रूपाराम, महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, सागरमल पुत्र खेमाराम थे। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या–2 वाहन चालक शिवपाल पुत्र जीवनराम द्वारा दौराने जॉच अपने बयान मे बताया कि मै मेरे मामजी के धर आया हुआ था जहां पर रेवत सिंह ने आकर मेरे पिक–अप को किराये पर बात कर गेहुँ भरवाने के बाद आधा किलो मीटर की दूरी पर गांव वालो ने गाडी को जबरदस्ती रुकवा दिया तथा माहौल तनावपूर्ण देखकर मौके से भाग गये। उक्त संबंध में कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 वाहन चालक शिवपाल न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा प्रतिरक्षण की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा दौराने जॉच दिये गये उक्तानुसार बयानों से भी स्पष्ट है कि उक्त जब्त शुदा गेहूँ का अवैध परिवहन करते हुए कालाबाजारी की नियत से बेचने के लिए अप्रार्थी संख्या–1 श्री रेंवतसिंह द्वारा ले जाये जा रहे थे। चूंकि उक्त जब्तशुदा 50 गेहूँ के कट्टों पर भारतीय खाद्य निगम का मार्का होकर मशीन की सिलाई किये हुये पाये गये है, जिन्हे विधिवत जब्त किया जाकर मौके पर जब्ती आदि की कार्यवाही की है, उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

5(2)–वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या–3 बनवारी लाल पुत्र गणेशराम निवासी हरसोई ने द्वारा दौराने जॉच उपखण्ड कार्यालय नावां में स्वयं उपस्थित होकर बयानो मे दर्शाया की जो वाहन संख्या RJ 19 GA 3021 पिक–अप जब्त है जिसका मालिक मै स्वयं हुँ। साथ ही यह भी बताया कि मेरे डाईवर शिवपाल पुत्र जीवणराम से उक्त गाडी श्री रेवत सिंह राशन डीलर द्वारा किराये पर ली थी किराया संबंधी या अन्य कोई बात की जानकारी मुझे नही है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त जब्तशुदा वाहन स्वंय का होना एवं रेवतसिंह द्वारा किराये पर लेना स्वीकार किया है। चूँकि उक्त वाहन से उपर्युक्तानुसार 50 गेहूं के कट्टों का कालाबाजारी की नियत से बेचने हेतु परिवहन किया जा रहा था एवं उक्त वाहन से ही उक्त गेहूँ के जब्त किये गये है।

5(3)–जहां तक प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 रेंवतसिंह उचित मूल्य दुकानदार की जॉच में उसके 9 क्विंटल 81 किलोग्राम गैहूँ कम पाये जाने व उपभोक्ता रामचन्द्र पुत्र हनुमानाराम, सेवाराम पुत्र भोमाराम, गोपाल पुत्र भोगाराम, गोपाल पुत्र पुराराम, राजेन्द्र पुत्र भींवाराम व घीसाराम पुत्र मंगलाराम को गेहूं उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 रेंवतसिंह के विरूद्ध आरोप है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने उक्त कम पाये गये गेहूँ और उपभोक्ताओं को रेंवतसिंह उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूँ उपलब्ध नहीं करवाने के बाबत आरोपों के संबंध में बहस में कथन किया है कि उक्त आरोपों के संबंध अप्रार्थी संख्या–1 रेवंतसिंह के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–86/2015 सरकार बनाम रेवंतसिंह उ. म.दू, जिला रसद कार्यालय नागौर विचाराधीन है। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) के कथनानुसार इसलिए उक्त आरोप के संबंध में जिला रसद कार्यालय में उक्तानुसार विभागीय प्रकरण विचाराधीन है एवं हस्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में ऐसे आरोपों के संबंध में विचार किया जाना भी उचित नहीं है।

6–अतः अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप वाहन संख्या RJ 19 GA 3021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 50 कट्टे गेहुँ कालाबाजारी हेतु भरना साबित होने से प्रकरण में जब्तशुदा 50 कट्टे गेहूँ व जब्तशुदा वाहन पिकअप वाहन संख्या RJ 19 GA 3021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में उक्त जब्तशुदा 50 कट्टे गेहूँ का उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से कीमतन वितरण करने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त राजकीय राशि घोषित की जाती

है एवं नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हे। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए, अप्रार्थी संख्या–3 बनवारीलाल पर 15,000/–रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है एवं उक्त जुर्माना राशि इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस में जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाने के निर्देश दिये जाते है। उक्त निर्धारित अवधि 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर जब्तशुदा वाहन को नियमानुसार खुली नीलामी के द्वारा नीलाम किया जाकर जुर्माना राशि वसूल करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है एवं नियमानुसार राजकोष में जमा करवाये जाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागोर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर